Civil Society Workshop on Masculinities and Gender Justice

Date: 5 & 6 October 2017

Venue: SDC, Purulia Road Ranchi, Jharkhand

Organised By: FEM-Jharkhand

Workshop Report

झारखण्ड के विभिन्न जिलों में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों व फेम–झारखण्ड के साथ मिलकर समुदाय स्तर पर काम करने वाली विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधियों के साथ 'लैगिंक न्याय व मर्दानगी' को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का संचालन स्वतंत्र पत्रकार नसिरुददीन हैदर खान, आली से रेशमा सिंह व सी0एच0एस0जे0 से महेन्द्र कुमार एंव फेम झारखंड से एच.आई. फातमी ने किया। कार्यशाला में कुल 25 लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य निम्न प्रकार से रहा –

- जेण्डर और मर्दानगी के मुद्दो पर मीड़िया कर्मी व नागर समाज के प्रतिनिधियों के जुड़ाव पर समझ बनाना।
- ऐतिहासिक, आर्थिक व सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जेण्डर, हिंसा व मर्दानगी के मुद्दो पर जानकारी बनाना।
- संचार के विभिन्न माध्यम किस प्रकार मर्दानगी की सोच को बढ़ावा देते हैं, इस पर समझ बनाना।
- जेण्डर, हिंसा व मर्दानगी के मुद्दो पर मीडिया व नागर समाज के बीच जुड़ाव के मौकों को बढ़ाने की संभावनाओं को उजागर करना।

पहला दिन

स्वागत, परिचय व कार्यशाला के उद्देश्य –

कार्यशाला की शुरूआत सभी प्रतिभागियों के स्वागत व आपसी परिचय के साथ शुरू हुई। इसके बाद फैसलिटेटर द्वारा सोशियोग्रामिंग के माध्यम से प्रतिभागियों के साथ परिचय की प्रक्रिया को सघन बनाते हुए जेण्डर, हिंसा, बाल अधिकारों व मर्दानगी के मुद्दो पर उनके विचारों व अनुभवों को समझने का

प्रयास किया गया। इसके बाद फैसलिटेटर द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला के उद्देश्यों को सभी के साथ रखा गया।

जेण्डर व जेण्डर आधारित भेदभाव –

सत्र को आगे बढ़ाते हुए फैसलिटेटर द्वारा प्रतिभागियों से महिलाओं एंव पुरुषों की पहचान को निकालते हुए महिला और पुरूष की सामाजिक व जैविक पहचानों को स्पष्ट किया गया। जिसके तहत स्पष्ट किया गया कि दाढ़ी–मूँछ आना, अण्डकोष, स्तन, योनि, गर्भाशय आदि सभी पहचान जैविकीय पहचान हैं जिन्हे बदला नही जा सकता और एक जैसी ही रहती है, इसे सेक्स कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जो भी पहचान हैं वह सामाजिक पहचान हैं जिसे जेन्डर कहते हैं। सामजिक पहचानों को बदला जा सकता है तथा ये क्षेत्र, परिस्थिति तथा समय के आधार पर बदलती रहती हैं।

उक्त चर्चा के बाद फैसलिटेटर द्वारा स्पष्ट किया गया कि हमारे समाज में जेण्डर यानि सामाजिक पहचान के आधार पर महिलाओं के साथ हर क्षेत्र में विभिन्न तरीको से भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न उदहारणों को प्रतिभागियों के सामने रखा यथा खान–पान, बातीचत व व्यवहार, घर के बाहर आने व जाने, काम के अवसरो, पढ़ाई करने के अवसरो, अपनी पसन्द के कपड़ों को पहनने व अपनी राय व्यक्त करने, शादी–सम्बंधो, सम्पत्ति में मालिकाना हक, निर्णय लेने आदि। उन्होंने प्रतिभागियों से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ अथवा क्यो हो रहा है? जबकि पुरुष और महिला समान रुप से परीक्षा उतीर्ण करते है और महिलाओं को उसके विवेकनुसार किसी विशेष स्ट्रीम को चुनने का मौका नहीं दिया जाता? अतः यहीं से भेदभाव शुरु हो जाता है और जेण्डर आधारित भेदभाव है। प्रारंभ में ही समाज ने तय कर दिया है कि महिलाएं यह नहीं कर सकती है वह नहीं कर सकती है अर्थात यही मानसिकता को आज हमें बदलने की जरुरत है ताकि समाज में महिलाओं व पुरूषों के बीच बराबरी के रिश्ते बन सकें।

सामाजिक गैरबराबरी –

पावर वाक के माध्यम से फैसलिटेटर द्वारा स्पष्ट किया गया कि हमारे समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति खासकर महिलाए पीछे रह जाती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक सामाजिक, आर्थिक, शैाक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक व संसाधन व आगे बढ़ने के मौके हैं जो सत्ता का निर्माण करते हैं। गेम के आधार पर फैसलिटेटर ने बताया कि सत्ता मुख्यतः अल्प संख्यक/बहुसंख्यक, क्षेत्र, भाषा, पहुॅच, उम्र, जाति, धर्म, ज्ञान/जानकारी, अनुभव, पद संसाधन/पैसा, जमीन इत्यादि के कारण आती है। सत्ता अपने आप में बुरी चीज नही है लेकिन सत्ता का प्रयोग कैसे होता है यह महत्वपूर्ण है। हम अपनी सत्ता का उपयोग दूसरों को आगे बढ़ाने, मौके उपलब्ध कराने आदि के रूप में भी कर सकते हैं।

इसलिए पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही उठाना पड़ रहा है लेकिन इसका मतलब यह नही है कि पुरूषों को नुकसान नही है। परिवार को चलाने के लिए पैसा कमाना पुरूषों की जिम्मेदारी मानी गई है। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा करना व सम्पत्ति की सुरक्षा पुरूषों की भूमिका के रूप में देखा जाता है जिसके कारण न चाहते हुए भी उन्हें बहुत सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं और उन्हे अपनी समस्याओं व भावनाओं को उजागर करने से मनाही होती है। इसलिए इस पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव किये बगैर सामाजिक न्याय की परिकल्पना नही कर सकते हैं।

मर्दानगी –

मर्दानगी पर चर्चा करते हुए फैसलिटेटर ने प्रतिभागियों से पूछा कि मर्द किसे कहा जाता है? इस पर प्रतिभागियों से निकलकर आया कि मर्द वो होता है जो ताकतवर हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, पैसे वाला, केयरिंग करने वाला, सम्पति हो, पढ़ा लिखा, आन–जाने पर कोई रोक टोक नहीं, भारी काम करने वाला, पहनावा चमक धमक, नशावाला हो, दबंगई हो इत्यादि उसे ही समाज मर्द मानती है। तत्पश्चात फैसलिटेटर ने पूछा कि क्या हम सभी लोग इस ढ़ॉचे में फिट बैठते हैं तो लोगो का जवाब नही में आया। फैसलिटेटर ने बताया कि यह समाज के द्वारा पुरूषों के संदर्भ में बनाई गई धारणा है लेकिन वास्तविक्ता कुछ और ही है। मर्द भी आज इन मर्दानगी की सोच के चलते दबाव महसूस करते हैं लेकिन वे भावुक, देखभाल करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, प्यार करने वाले भी होते हैं लेकिन ये नकारात्मक संदर्भो में देखे जाते हैं, जिन्हें बदलने की जरुरत है। एक तिहाई से ज्यादा महिलाएं परिवार की मुखिया होती है। अतः हमें देखना होगा कि हम समाज को कैसी शिक्षा दे रहे है और हमें मर्दानगी को समझना होगा ताकि –

- महिलाओं व लड़कियों के अधिकार व जीवन स्तर में सुधार के लिये
- शान्ति और विकास के लिए
- क्योंकि पुरुष और लड़के भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा प्रतिबन्धित होते है
- आज कई समस्याओं का कारण आक्रमक मर्दानगी है। शान्ति और न्याय के लिए मर्दानगी की नकारात्मक सोच को बदलना जरुरी है
- समानता और विकास शान्ति के लिये श्रम का बंटवारा बदला जाना चाहिए

प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया में जेण्डर व मर्दानगी

फैसलिटेटर ने प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए बताया कि जब कोई घटना होती है तब एक मीडिया पर्सन की क्या भूमिका होती है। उन्होंने निर्भया कॉड 2012 की घटना को संक्षेप में वर्णन करते हुऐ बताया कि मीडिया पर्सन की क्या भूमिका थी क्योंकि इस घटना को लेकर अलग–अलग मीड़िया में अलग–अलग तरीके से सवाल उठाये जा रहे थे यथा रात में 10 बजे लड़की को अपने ब्वायफ्रैण्ड के साथ निकलने की क्या जरूरत थी? आदि। अगर देखा जाय तो मीड़िया ने सरकार की जवाबदेही कि सुरक्षित जगह बनाने की बजाय महिला के आवागमन व अपनी मर्जी से अपने दोस्ती के अधिकार पर सवाल खड़ा करने का प्रयास किया है और यह जेण्डर आधारित भेदभावपूर्ण सोच का नतीजा है। इसी प्रकार से बिल्किस बानों ने न्याय के पाने के लिऐ कितना संर्धष किया इसकी भी चर्चा की गई। टीवी में आने वाले डिबेट कार्यक्रम 'ताल ठोक कर', 'सोना है तो जाग जाओ' आदि में एंकर द्वारा धौसपूर्ण मर्दानगी तरीके से गंभीर मुद्दो पर जिस प्रकार से चर्चा कराई जाती है समझ बनाने का प्रयास किया गया। इस दौरान फैसलिटेटर द्वारा विभिन्न वीडियो क्लिप को भी दिखाया गया तथा बताया गया कि किस प्रकार की आक्रामकता मीडिया में बढ़ गई थी। उन्होने कहा कि हमें लगातार सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार का अक्रामक मीडिया लोगो को कहॉ ले जा रहा है।

मीड़िया के माध्यम से खबरों व डिबेट के अलावा दिखाने जाने वाले विज्ञापन, धारावाहिकों के माध्यम से पुरूषों और महिलाओं की अलग–अलग तरह की मानसिकता बनाने का प्रयास किया जाता है जो हमारी रूढ़िवादी परम्पराओं व मान्यताओं को ही बढ़ावा देते हैं। पुरूषों की धौसपूर्ण व आक्रामक छवियों को एक मर्द की खासयित के रूप में प्रसारित व प्रचारित किया जाता है वहीं दूसरी ओर महिलाओं की छवि को सेवा व पालन करने वाली के रूप में ही दिखाया जाता है। महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है इसलिए विज्ञापनों में उनकी एक अलग छवि ही दिखाई देती हैं जबकि वास्तविक जीवन से उसका कोई लेना देना नही होता है।

दूसरा दिन

दूसरे दिन कार्यशाला की शुरूआत गीत तथा इसके बाद पहले दिन हुई चर्चाओं के रिकैप के साथ की गई। रिकैप के दौरान प्रतिभागियों द्वारा बनी सीख को रखा गया जो निम्न प्रकार से निकलकर आये –

- मर्दानगी और हिंसा का सीधा सम्बध हैं, पुरूष अपनी मर्दानगी को स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं।
- लड़का और लड़की के बीच भेदभाव बचपन से ही किया जाता है।

- जेण्डर बराबरी के लिऐ पुरुषों की भागीदारी होना चाहिऐ।
- महिलाओं की इमेज को बदलने तथा सामाजिक बदलाव में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान में मीडिया व्यवसाय बन गया है तथा मीडिया विज्ञापन से ही चलता है इसलिए में सामाजिक बदलाव की संभावनाओं को तलाशना तथा हस्तक्षेप करना होगा।
- हमें धौसपूर्ण मर्दानगी की सोच को बदलना होगा।

झारखण्ड के संदर्भ में महिलाओं व बच्चों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे –

इस सत्र में आली से रेशमा सिंह ने झारखंड के संदर्भ में महिलाओं व बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याओं व उनसे जुड़े कानूनों पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा की गई –

- बाल विवाह/जल्द विवाह कानून
- डायन कुप्रथा व कानून
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून

इन सभी मुददों पर चर्चा करते हुए फैसलिटेटर ने झारखण्ड बाल विवाह प्रतिषेध नियामवली 2015 के बारे में बड़े विस्तार से बताया। बाल विवाह– ऐसे बालक का जिसका उम्र 21 साल से कम हो और ऐसी बालिका जिसकी उम्र 18 साल से कम हो तो कानून अपराध माना जाता है। बालको को कम उम्र में शादी कर देने से उनके जीवन को प्रभावित करते है। अतः इस पर ध्यान देकर लोगो को जागरूक करने और दूर करने जरूरत है। अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत प्रमुख प्राविधान–

1. बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी की अधिकारिता के तहत अकृता की डिग्री द्वारा बाल विवाह को शून्य करने के लिये अर्जी संबंधित अधिकारिता वाले न्यायलय में दाखिल की जायेगी।
2. न्यायलय द्वारा जिन जेवरात वस्तुओं या कोई राशि लौटाने का आदेश दिया गया है उसे पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में ही लौटाया जायेगा।
3. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत महिला पक्षकार को एकमुश्त राशि भुगतान का आदेश होने पर यह राशि आदेश की निधि से एक महीने के अंदर न्यायलय के पदाधिकारी की मौजूदगी में ही दिया जायेगा।
4. मासिक भरण पोषण का आदेश होने की स्थिति में 15 वी तारीख तक देय होगी।

शिकयात की प्रक्रिया क्या है और कहॉ की जानी चाहिए –

1. कोई व्यक्ति, माता–पिता, पीड़ित व्यति के अन्य या कलयाण संस्था सगे संबंधी, कल्याण संस्था या संगठन के द्वारा बाल विवाह अधिकारी कों लिखित सूचना।

2. बाल विवाह की संभावना की सूचना कोई व्यति बाल पदधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को या ग्राम प्रधान को मोखिक या लिखित या डाक या इलेक्ट्रोनिक के माध्यम से कर सकेगा।
3. ऐसे अधिकारी को सूचना मिलने पर जो बाल अधिकारी नहीं है वह अपनी सूचना की रिपोर्ट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को देंगे।

सूचना मिलने पर करवाई न करने वाले अधिकारी को 5000 रू0 या विभागीय करवाई की जाने का प्रावधान है। अच्छा काम करने वाले पदाधिकारी को कम से कम 5000रू0 पुरस्कार स्वरूप एंव प्रशस्ति पत्र देने का भी प्रावधान है। बाल विवाह का घटना ज्ञान होने पर 30 दिनों के अंदर प्रतिवेदन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा किया ।

इसके बाद आगे बताई कि डायन प्रथा क्या है और हमारे समाज में कितनी बुरी तरह यह अभिशाप माना जाता है। डायन प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत डायन प्रथा, भारत के हर हिस्से में पाई जाती है परन्तु यह मध्य पूर्व भारत के प्रदेशों में ज्यादातर प्रचलित है यह प्रदेश है झारखण्ड, छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, प.बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। डायन कुप्रथा के प्रमुख कारण–

1. आर्थिक समाजिक पिछड़ापन
2. अंधविश्वास
3. अशिक्षा
4. संपति का झागड़ा
5. संपति कब्जा करने के लिऐ
6. महिलाओं की यौनिकता पर संदेह
7. महिलाओं द्वारा यौनिक संबंध बनाने पर अस्वीकार इत्यादि प्रमुख कारण है।

इसके बाद डायन से संबंधित कुछ आकड़े कानून के बारे में चर्चा की। एन0सी0आर0बी0 की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में 250 महिलाओं को डायन करार देकर मार दी गई है। इसी प्रकार झा0से0बी0आईबी0 के अनुसार 2001 से 2013 के बीच 414 हत्याऐ की जा चुकी है। उन्होने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार ये हत्या है। 307 हत्या की कोशिश, 320 गंभीर चोट, 376 बलत्कार है। इसके साथ ही उन्होंने इस कानून के तहत सजा के प्रवाधानों पर विस्तार से चर्चा किया।

- पहचान कर्ता कौन है?

यह वह व्यति है जा किसी औरत का डायन के रूप में पहचान करता है। और उस पहचान के प्रति अपने कार्य या शब्द या रिती से कोई कार्यवाही करे तो उसे तीन महीने की सजा है या जुर्माना का प्रावधान है।

इसके बाद धारा 4 के अर्न्गत आगे बताई कि किसी को प्रताड़ित करने पर क्या सजा व हर्जाना तथा धरा 5 के अर्न्गत डायन के पहवान दूष्प्रेरण में क्या प्रावधान है। इसी प्रकार रेशमा जी ने प्रतिभागियों के बीच ओझा–गूनी तथा पाक्सो के बारे में भी चर्चा की और अंत में एक डाक्यूमेन्ट्री फिल्म भी दिखाया जिसमें मुख्य रूप से एक नाबालिग लड़की की जल्द विवाह कर देने से उसके जीवन में क्या क्या प्रभावित होते है इसी पर आधारित था।

हिंसा और सामाजिक संस्थाए–

फैसलिटेटर द्वारा प्रतिभागियो के साथ चर्चा करते हुए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो किसी न किसी प्रकार से जेण्डर आधार भेदभाव व हिंसा को बढ़ावा देने में अपना योगदार देती है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

- परिवार
- कानून/नीतियां
- पंचायत
- मीडिया
- धर्म

- शैक्षणिक संस्थान
- राजनीति

फैसलिटेटर ने चर्चा करते हुए कहा कि महिलाए विभिन्न सामाजिक पंरमपराओं व मान्यताओं को मानने के लिये बाध्य होती हैं जो इन संस्थाओं द्वारा रचित होते हैं और जब भी कोई महिला इनको चुनौती देने का प्रयास करती हैं तो उसके साथ भेदभाव व हिंसा की घटनाए की जाती हैं। क्योंकि ये संस्थाएं एक अलग तरह की सोच का निर्माण करने का प्रयास करती हैं जो जेण्डरगत भेदभाव पर आधारित होती है। लड़के लड़कियो को बचपन से हिंसा के विरूध आवाज उठाने के लिये नहीं सिखाया जाता है पिता को अपने इज्जत की चिंता रहती है। महिलाओं का डर पुरूषों से है इसलिऐ बदलाव अपने अंदर लाने की जरूरत है। हमें लड़को के साथ होने वाले सेक्सुअल ऐब्युज को भी समझना होगा जो कभी भी मुददा नहीं बनता है इसे भी गंभीरता से लेना होगा। अतः हमें इन संस्थाओं से भेदभाव को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सामाजिक मान्याताओं को बदलने की जरूरत है और नई मान्यताए स्थापित करने की जरूरत है।

मीड़िया में रिपोर्टिगं – वर्तमान सामाजिक व आर्थिक संदर्भो में चुनौतियों को कम करने की संभावनाएं

फैसलिटेटर द्वारा मीडिया में रिपोर्टिग के तरीकों पर बातचीत करते हुए बताया कि खबरों को सनसनी बनाने के लिए उसके व्यापक प्रभावों की अनदेखी कर दी जाती है जिसका लोगों के मस्तिष्क पर अलग–अलग असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड में किसी भी महिला को डायन कह कर मार दिया जाता है और अखबार उसे कितना प्रमुखता से तथा किन संदर्भो में छापती है हम लोगो को पता है। मो0 शमी के द्वारा अपनी पत्नी के साथ जारी फोटो पर अलग–अलग प्लेटफार्मो में हुई चर्चाओ पर भी समझ बनाने का प्रयास किया गया। फैसलिटेटर ने आगे बताया कि अखबारो में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर बहुत ही नकारात्मक तरीके से होती है जैसे इज्जत लुट गई, आबरू लुट गई, अस्मत लुट गई, इज्जत तार–तार हो गई, मुॅह दिखाने के काबिल नहीं रह गई आदि।

इसके बाद फैसलिटेटर ने बताया कि मीडिया मेनुफैक्चर क्या है जिसके आधार पर रिपोर्टिग को दिखाने का प्रयास किया जाता है, चर्चा से निम्न बिन्दु निकलकर आये –

- सूपर हीरो
- अक्रामकता
- ऐंगरी मैन
- मसल्स मैन
- प्रोटेक्टर

- आरमी मैन
- वायलेंस
- एबल टू कंट्रोल
- हेट्रोसेक्सुअल आदि

फैसलिटेटर ने सुझाव दिया कि हमें महिलाओं और पुरूषों के संदर्भो में दिखाई जाने वाली छवियों व रिपोर्टिग के तरीकों में खुद के स्तर से बदलाव लाने का प्रयास करना होगा इसके लिए जरूरी है कि हम रिपोर्टिंग करते हुए मुद्दे की गंभीरता को समझे तथा उसके बारीकी पहलुओं को गहराई से जान ले। अक्सर रिपोर्टिग में ऊपरी सतह से दिखने वाली जानकारी पूरी तरीके से सच नही होती और इनका बहुत ही गलत असर समाज में पड़ता है तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन होता है, कई बार वे जोखिम की स्थिति में पहुंच जाते हैं।

फीडबैक व समापन

कार्यशाला के अंत में फैसलिटेटर द्वारा सभी प्रतिभागियों से इन दो दिनों के कार्यशाला में हुई चर्चाओं पर फीडबैक लिया गया और इसके बाद प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर मीडिया के साथियों के साथ एक दिन का कार्यशाला करने के लिये सभी जिलो से प्लान मॉगा गया।

प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं –

1. हमने बहुत सी ऐसी बातों को देखा जिससे काफी सीखने को मिला। हम इसे अपने दैनिक जीवन में खुद से शुरूआत कर बदलाव को अपनायेगे। गेम के माध्यम से काफी सीख मिली– अरविंद प्रजापति, खबर मंत्र, लोहरदगा
2. महिला प्रताड़ना के बारे में समझ बनी और मुझे सीख मिली कि महिला प्रताड़ना पर आवाज उठाना चाहिये।
3. खबरो में शब्दो पर विशेष ध्यान देना है जिससे महिलाओं, लड़कियों या किसी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान न हो।
4. बाल विवाह के मामले में सी0डी0पी0ओ0 व बी0डी0ओ0 को सूचना देगें और अखबार में इन खबरों को प्रकाशित करवायेगें।
5. महिलाओं और लड़कियों पर जब खबर बनाते हैं तो उनकी पहचान को गुप्त रखेगें व काल्पनिक नाम को भी नही ड़ालने का प्रयास करेगें।
6. इस कार्यशाला से मुझे लेखन कार्य, बाल विवाह, डायन कुप्रथा जैसे हिंसा पर मिली जानकारी मुझे समाचार बनाने में मददगार साबित होगी।
7. इस कार्यशाला में मुझे सामाजिक, राजनैतिक व पारिवारिक के अलावा मर्दानगी के रोल तथा मीड़िया कर्मियों के योगदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
8. कार्यशाला में किसी संवेदनशील सम्बंधी खबरो पर जो भड़काउ शब्दो का उपयोग व जेण्डर आधारित शब्दो के बारे में बचने की जानकारी सराहनीय रही।
9. पत्रकारों को खासकर न्यूज लिखने में किन किन पहलुओं को फोकस करने तथा किन चीजों से बचने की जरूरत है, इस पर काफी जानकारी मिली।
10. यह कार्यशाला बहुत ही उपयोगी रही, विभिन्न मुद्दो पर जानकारी मिल पाई।

प्रतिभागियों के सुझाव –

- पत्रकारों के पत्रकारिता से सम्बंधित शब्दकोष बताया जाता तो अच्छा रहता।
- इस तरह की जानकारी आगे भी मिलती रहनी चाहिये।
- इस तरह के कार्यक्रम को छोटे–छोटे स्तर पर किया जाय तो अच्छा रहेगा।
- मुझे लगता है कि समयाभाव में प्रशिक्षण का कुछ हिस्सा छूट गया या जल्दबाजी में पार हो गया इसलिए पुनः दो से तीन दिन का ऐसा ही प्रशिक्षण आयोजित हो।

- कार्यशाला के उपरान्त गीत–संगीत के माध्यम से कुछ जानकारी मिलता तो और भी अच्छा रहता।
- रात में खाने की व्यवस्था काफी खराब रहा।

अंत में 'सिविल सोसाईटी वर्कसॉप आन मैसकुलिनिटीज एण्ड जेन्डर जस्टिस' कार्यशाला का समापन सी0एच0एस0जे0 के महेन्द्र जी ने फैसलिटेटर नसिरुद्दीन हैदर खानए, रेशमा सिंह के अलावा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए समापन किया।

Agenda of Workshop

Time	Content/ module	Method	Moderator
5 October 2017			
10.00–10.30 am	*Registration*		
10.30-11.30 am	Welcome, Background, Introduction, objective sharing About Gender – Quality of men & women	Socigramming	H.I.Fatmi Mahendra Kumar
11.30-12.00 am	*Tea Break*		
12.00-01.00 pm	Understanding of social construction /Inequality	Power walk	Mahendra Kumar
01.00-02.00 pm	*Lunch Break*		
02.00-03.00 pm	Understanding Masculinities	Discussion	Mahendra Kumar
03.00-04.30 pm	Examining gender and masculinities in print, electronic and social media	PPT	Nasiruddin H. Khan
	Religion, Culture and Masculinities		Nasiruddin H. Khan
04.30-05.30 pm	Analysing masculinity in films and advertisement	Presentation & discussion	Nasiruddin H. Khan
6 October 2017			
9.00-10.00 am	Reflection on previous day	Individual sharing	Mahendra Kumar
10.00-11.30 am	Issues specific related to Jharkhand- Early marriage, witch-hunting & lynching, Domestic Violence and implementation of laws	Presentation & discussion	Reshma Singh Nasiruddin H. Khan
11.30-12.00 am	*Tea break*		
12.00-01.00 pm	Examining how Various Institutions Perpetuate Violence	Group exercise & sharing	Mahendra Kumar
01.00-02.00 pm	*Lunch Break*		
2.00-3.30 pm	Reporting in the media: Exploring ways to address challenges in current socio economic scenario	Presentation & discussion	Nasiruddin H. Khan
3.30-3.45 pm	*Tea Break*		
03.45-04.30 pm	Conclusion and way forward		H.I.Fatmi Mahendra Kumar

Participant List –

Sn	Name	Organisation	Email	Phone
1	Rajesh Roshan	Prerna Bharti, Madhupur	roshan8506@gmail.com	8809900493
2	Shiv Shankar	Prerna Bharti, Madhupur		8969567428
3	Abdul Kayum Ansari	SPARK, Lohardaga	sparkranchi@gmail.com	8084174531
4	Md. Shamshad	SPARK, Ranchi	khanshamshad89@gmail.com	9031277588
5	Kishor Prasad	Ranchi Express, Hazaribag	kishorprasad802@gmail.com	9431503595 9199076143
6	William Jacab	Giridih News, Giridih	william1393@gmail.com	8271293260 7903044783
7	Hemant Kumar Mahto	Dainik Jagaran, Bokaro	hemantmahtokasmar@gmail.com	9931323739
8	Shekhar Shardendu	Hindustan, Bokaro	shekhar.kasmar@gmail.com	9955708000
9	Rajkishor Koshi	Sahbhagi Vikas, Simdega		7250495568
10	Joseph Lugun	Sahbhagi Vikas, Simdega		9631508545
11	Shilpy Tirkey	ASHA, Ranchi	shilpytirkey1116@gmail.com	8434505746
12	Ravi Yadav	ASHA	ravi.ravi.66@gmail.com	9821992163
13	Mukesh Kumar	Dainik Bhaskar, Bokaro	mukesh86510@gmail.com	9431509993
14	Mithlesh Kumar	News 11, Bokaro	itsmemithleshkr123@gmail.com	9431509783
15	Dr. C.A. Kumar	Rupayani, Bokaro	rupayanibokaro@gmail.com	8434703357
16	Ajit Kumar Mishra	News 11, Hazaribag	ajitmishramedia@gmail.com	9905712758
17	Mithilesh Kr. Barman	Hindustan, Hazaribag	globalanima@gmail.com	9955443788
18	Arvind Kr. Prajapati	Khabar Mantra, Lohardaga	ak6533825@gmail.com	7870696405
19	Pawan Kumar Singha	Breakthrough, Ranchi	pawan@breakthrough.tv	9431922916
20	Alok Bharti	Breakthrough, Ranchi	alok@breakthrough.tv	7050657777
21	Md. Hussain Ansari	Prabhat Khabar, Lohardaga	husain9430741318@gmail.com	9430741318
22	Hussain Imam Fatmi	FEM-Jharkhand	sparkranchi@gmail.com	9199352156
23	Nasiruddin H. Khan	Ind. Journalist, Lucknow	nasiruddink@gmail.com	9711191103 9450931764
24	Mahendra Kumar	CHSJ, Ranchi	mahendra@chsj.org	9695179968
25	Reshma Singh	Aali, Ranchi	reshu.gfatm@gmail.com	9693853019